

क्रमांक 46/5/1993-5पोल

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, गुडगांवा तथा हिसार मण्डल ।

2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2016.

विषय: 23 सितम्बर, 2016 को 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' मनाने बारे ।

<<0>>

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय बारे आपका ध्यान सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2016 की ओर दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि सरकार के पत्र क्रमांक 9/5/82-पोल (5पी), दिनांक 28 जुलाई, 1982 के अनुसार गत वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी 23 सितम्बर का दिन 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' के रूप में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाये और इस दिन प्रत्येक जिले में जनसभायें, समारोह, गोष्ठियां आदि आयोजित करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाये । शहीदों के परिवारों तथा युद्ध में वीरता पुरस्कार पाने वालों को स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर यथावत् सम्मानित किया जाये । इस समारोह में स्वतन्त्रता सेनानियों एवं कारगिल के योद्धाओं को भी आदरपूर्वक आमन्त्रित किया जाये । पूर्व पत्र अनुसार सूचित किया गया रेवाड़ी में होने वाला राज्य स्तरीय समारोह अब नहीं होगा ।

2. आपसे अनुरोध है कि इन समारोहों के आयोजन बारे जिला स्तर पर भली-भांति प्रचार किया जाये तथा समारोहों के आयोजन का प्रैस को भी पूर्ण विवरण दिया जायें ।

भवदीय



अवर सचिव राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।



अवर सचिव राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

हरियाणा राज्य के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा: क्रमांक 46/5/1993-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2016

पृ० क्रमांक 46/5/1993-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2016

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. एक-एक प्रति मुख्य मंत्री / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव I-II/विशेष कार्य अधिकारी (मुकुल कुमार)/विशेष कार्य अधिकारी (कैप्टन भूपेन्द्र)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला) राजनैतिक सलाहकार (जगदीश चौपड़ा), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिवों/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के विशेष वरिष्ठ सचिवों/वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/निजी सचिवों को मुख्य मंत्री/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव I-II/विशेष कार्य अधिकारी (मुकुल कुमार)/विशेष कार्य अधिकारी (कैप्टन भूपेन्द्र)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला) राजनैतिक सलाहकार (जगदीश चौपड़ा), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिवों/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के सूचनार्थ भेजी जाती है ।

2. अवर सचिव, हरियाणा सरकार, न्यायाचार एवं प्रचार विभाग ।


अवर सचिव राजनैतिक,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ० क्रमांक 46/5/93-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2016

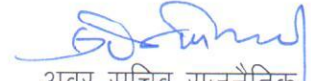
एक प्रति निदेशक, लोक सम्पर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।


अवर सचिव राजनैतिक,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ० क्रमांक 46/5/93-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 21 सितम्बर, 2016

एक प्रति सचिव, मुख्य मंत्री महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।


अवर सचिव राजनैतिक,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।